**न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, बीकानेर**
**पीठासीन अधिकारी, डॉ0राकेश कुमार शर्मा, आर.ए.एस.**

<u>अपील संख्या 06/15</u>  निर्णय दिनांकः—10.09.2018

1. मांगा पत्नि हाजी गनी खॉ जाति मुसलमान निवासी चक 2 सीएम अमरपुरा तहसील पूगल जिला बीकानेर।

—अपीलांट्

—बनाम—

1. ओम कंवर पत्नि जयसिंह जाति राजपूत निवासी साखू तहसील राजगढ़ जिला चूरू।
2. स्टेट ऑफ राजस्थान, जरिये तहसीलदार कोलायत।

रेस्पोडेन्ट्स

**अपील विरूद्व आदेश दिनांक 22—11—2010**
**सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत**

<u>उपस्थितिः—</u>

1. श्री करण सिंह, अभिभाषक अपीलांट
2. श्री नन्दराम कासनियॉ, राजकीय अभिभाषक

—निर्णय—

1. अपीलांट ने उक्त अपील सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत के आदेश दिनांक 22—11—2010 जिसके द्वारा अपीलांट के मुरब्बे में निहित भूमि का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को स्मालपेच आवंटन किया गया, के विरूद्व इस न्यायालय में राजस्थान उपनिवेशन(इगानप योजना में सरकारी कृषि भूमि आवंटन व विक्रय नियम) 1975 के नियम 23 के अन्तर्गत प्रस्तुत की है।

2. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलांट् ने बहस करते हुए बताया कि अपीलांट को चक 2 सीएम के मुरब्बा नम्बर 66/2 में 19 बीघा 1 बिस्वा भूमि पुख्ता आवंटित है तथा इसी मुरब्बे के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 5 बीघा भूमि आराजीराज दर्ज है। उक्त भूमि अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटित की गई है जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को चक 2 सीएम के मुरब्बा नम्बर 66/2 में किसी प्रकार की कोई भूमि आंवटित नहीं है ना ही स्माल पेच में आवंटित की गई भूमि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की कोई चिपती भूमि है।

उन्होनें आगे बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आराजी राज भूमि के स्मालपेच आवंटन के लिए आवेदन पत्र प्रस्तुत किये जाने पर आवंटन अधिकारी द्वारा संबंधित तहसीलदार से वादगत् भूमि के बाबत् रिपोर्ट प्राप्त की गई। उक्त रिपोर्ट में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य चिपते काश्तकारों की वरियता भी कायम की गई। उक्त वरियता में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के अतिरिक्त अन्य काश्तकार मांगा पत्नी हाजी गनीखॉ, कमो पत्नी अलीशेर, इन्द्राज पुत्र रामूराम, देदाराम पुत्र भूराराम व ओमकंवर पत्नी जयसिंह आदि की वरियता कायम की गई।

उन्होंने आगे बताया कि जब वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य चिपते काश्तकारों की वरियता कायम की गई तो ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट व अन्य चिपते काश्तकारों को विधिवत नोटिस जारी किया जाना चाहिए था। जबकि अदालत मातहत द्वारा किसी प्रकार का कोई नोटिस सूचना अथवा सुनवाई का कोई अवसर प्रदान नहीं किया गया है। प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अन्य चिपते काश्तकारों को जो नोटिस जारी किये गये है उसकी विधिवत तामील अदालत मातहत द्वारा नहीं करवाई गई है।

जबकि स्मालपेच आवंटन नियमों में उसी मुरब्बे में निहित भूमि—धारकों को नोटिस व सुनवाई का अवसर प्रदान किया जाना अपरिहार्य है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों की अवहेलना करते हुए अपीलांट के हकों पर कुठाराधात किया गया है। स्मालपेच आवंटन नियमों के जिसकी वरियता प्रथम बनती है उसे ही नियमानुसार आवंटन

किया जाना चाहिए। चूंकि वादगत् मुरब्बें में अपीलांट की पूर्व में ही भूमि निहित है ऐसी स्थिति में उक्त भूमि के आवंटन का प्रथम अधिकार अपीलांट का  बनता है रेस्पोडेन्ट की वादगत् भूमि में कोई वरियता नहीं बनती है। अदालत मातहत द्वारा इन तमाम तथ्यों को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से आवंटन किया गया है। ऐसा आवंटन स्मालपेच आवंटन नियमों के विपरीत होन से प्रारम्भ से शून्य आवंटन की परिभाषा में आता है।

अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों को दरकिनार करते हुए नियमों के विरूद्व जाकर जैर अपील आदेश परित किया गया है जो काबिज निरस्त है। अदालत मातहत द्वारा आदेश जैर अपील मनमाने ढंग से बिना कानूनी प्रक्रिया को अपनाये पारित किया है। जो आवंटन नियमों के प्रावधानो के विपरीत व प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्तों के खिलाफ होने से काबिले निरस्त है। अपीलांट्स को बिना कोई नोटिस, सूचना व सुनवाई का अवसर दिये बगैर एकतरफा तौर पर किया गया स्मालपेच आवंटन हर प्रकार से निरस्त योग्य है।

उन्होंने मियांद पर बताया कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बिना सूचना के रकबा किसी अन्य को आवंटित कर दिया गया। उक्त आदेश एकतरफा आदेश की श्रेणी में आता है। जिसमें मिंयाद अधिनियम बाघक नहीं है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश है। अतः अपील अन्दर मियांद घोषित की जावे।

4. रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को न्यायालय से रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये जाने के उपरान्त भी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 न्यायालय के समक्ष उपस्थित नहीं आने पर दिनांक 02—08—2018 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही की गई।

5. विद्वान राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में बताया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा वादगत् भूमि चक 2 सीएम के मुरब्बा नम्बर 66/2 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में 5 बीघा स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों की वरियता बनाई गई। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य कोई आवेदन  पत्र जैरकार नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा

राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 14 के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच किया गया है। वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता की तहसीलदार द्वारा अनुशंसा की गई है व रकबा अन्य किसी प्रकार से विवादित नहीं होने व स्थगन आदेश नहीं होने की टिप्पणी भी अपनी रिपोर्ट में अंकित की गई। रेस्पोडेन्ट संख्या के धारण की भूमि वादगत् भूमि के बिल्कुल चिपते हुए है। ऐसी स्थिति में अदालत मातहत द्वारा रेस्पोडेन्ट की भूमि वादगत् भूमि के चिपते होने के कारण व अन्य काश्तकारों को नोटिस जारी करने के उपरान्त भी उपस्थित नहीं आने की स्थिति में वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता रेस्पोडेन्ट की मानते हुए व केवल मात्र उन्हीं का आवेदन होने के कारण वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है व रेस्पोडेन्ट संख्या 1 द्वारा आवंटन पश्चात् आवंटन नियमों के तहत निर्धारित राशि जमा करवाई जा चुकी है तथा आवंटन आदेश भी जारी किया जा चुका है। आराजी जैर आवंटन के पश्चात् रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के कब्जे काश्त में चली आ रही है।

उन्होंने आगे बताया कि अपीलांट द्वारा अपील मियांद बाहर प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत मियांद प्रार्थना पत्र में मियांद को कण्डोन करने का कोई पर्याप्त कारण अंकित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में अपीलांट की अपील मियांद के बिन्दु पर खारिज योग्य है। अतः अपीलांटअब किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्ट द्वारा आवंटन पश्चात् निर्धारित तमाम राशि खजानाराज में जमा करवाई जा चुकी है। ऐसी स्थिति में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन सही है। अतः अपीलांट की अपील गुणावगुण के साथ–साथ मियांद के बिन्दु पर खारिज फरमाई जावे।

5. विद्वान अभिभाषक उभय पक्ष की बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली का विधि के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन किया गया।

6. (1) जहॉ तक मियांद का प्रश्न है, अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–11–2010 को पारित किया गया है। जिसके विरूद्व अपील 23–06–2015 को पेश की गई है। अपील के साथ धारा 5 मियांद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है। जिसके

खण्डन में कोई काउण्टर शपथ पत्र पेश नहीं किया गया हैं। चूंकि वादगत् भूमि का आवंटन अपीलांट को बिना सुनवाई व सूचना व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान किये पारित किया गया है। ऐसी स्थिति आदेश जैर अपील एकतरफा तौर पर पारित किया जाना साबित है अतः प्रार्थी के शपथ पत्र पर विश्वास करते हुए अपील में हुए विलम्ब को दरगुजर करते हुए अपील अन्दर मियांद घोषित की जाती है।

(2) हस्तगत् प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय ने चक 2 सीएम के मुरब्बा नम्बर 66/2 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में कुल रकबा 5 बीघा भूमि का स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने पर वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जिससे व्यथित होकर अपीलांट द्वारा उक्त अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

(3) प्रकरण में अपीलांट का मुख्य कथन है कि वादगत् भूमि अपीलांट के धारण के मुरब्बें में निहित होने के कारण वादगत् भूमि के आवंटन की प्रथम वरियता अपीलांट की बनती है। अदालत मातहत द्वारा आवंटन प्रक्रिया को दरकिनार करते हुए मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या को बेजा फायदा पहुॅचाने की नियत मात्र से वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया है। जबकि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 की भूमि उक्त मुरब्बें में निहित नहीं है।

(4) दूसरी तरफ विद्वान राजकीय अभिभाषक का कथन है कि वादगत् भूमि चक 2 सीएम के मुरब्बा नम्बर 66/2 के किला नम्बर 5, 6, 15, 16, 25 में कुल रकबा 5 बीघा के स्मालपेच में आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र दिये जाने के फलस्वरूप सभी संबंधित पात्र काश्तकारों की वरियता बनाई गई। वादगत् भूमि के आवंटन हेतु अन्य कोई आवेदन पत्र जैरकार नहीं होने पर अदालत मातहत द्वारा राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम 1975 के नियम 14 के तहत वादगत् भूमि का आवंटन बतौर स्मालपेच किया गया है।

(5) प्रकरण में हमने अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व उपलब्ध दस्तावेजों व तहसीलदार की रिपोर्ट का अवलोकन किया। प्रस्तुत मामलें

में अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ प्रस्तुत तहसीलदार की रिपोर्ट के साथ प्रस्तुत नजीरी नक्शें के अवलोकन मात्र से यह स्पष्ट है कि वादगत् आराजी अपीलांट के मुरब्बें में निहित है। अदालत मातहत द्वारा वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट व अन्य चिपते काश्तकारों को जो नोटिस जारी किया गया उसकी विधिवत तामील नहीं करवाई गई है। अदालत मातहत द्वारा जारी नोटिस की पुश्त पर अंकित रिपोर्ट का भी अवलोकन किया गया। जिससे स्पष्ट है कि अदालत मातहत द्वारा जारी नोटिस अपीलांट व अन्य चिपते काश्तकारों पर विधिवत रूप से तामील नहीं करवाये गये है अदालत मातहत द्वारा मात्र नोटिस की औपचारिकता पूर्ण करते हुए वादगत् भूमि का आवंटन रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया जाना साबित है।

(6) प्रस्तुत प्रकरण में संबंधित पटवारी द्वारा ना तो वादगत् भूमि के संबंध में मौका रिपोर्ट सही तरीके से तैयार की गई है ना ही उक्त रिपोर्ट में उल्लेखित काश्तकार व अपीलांट जिसके धारण में इसी मुरब्बे में भूमि निहित होने पर भी अपीलांट को ना तो कोई नोटिस प्रदान किया गया व ना ही उसे सुनवाई व सबूत का कोई अवसर प्रदान किया गया।

(7) प्रकरण में अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश में अंकित किया गया है कि उक्त भूखण्ड आवंटन हेतु अन्य किसी का आवेदन पत्र जैरकार नहीं है तथा तहसीलदार द्वारा उक्त भूखण्ड आवंटन प्रथम वरियता के आधार पर अनुशंसा की गई है। जबकि अदालत मातहत को प्रकरण में यह देखा जाना चाहिए था कि राजस्थान उपनिवेशन आवंटन नियम, 1975 के नियम 14 के तहत स्माल पेच आवंटन किये जाने से पूर्व उक्त मुरब्बें में निहित अन्य काश्तकार को नोटिस प्रदान किया गया है अथवा नहीं? अदालत मातहत द्वारा आवंटन नियमों के इस महत्वपूर्ण तथ्य को दरकिनार करते हुए केवल मात्र रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को बेजा फायदा पहुॅंचाने की नियत मात्र से समस्त कार्यवाही सम्पादित किया जाना परिलक्षित होता है। आवंटन से पूर्व इस तथ्य की जॉच अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व नहीं की गई है। जो घोर अनियमितता की श्रेणी की त्रूटि है कारित करते हुए आराजी जैर का रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को किया गया आवंटन तहसीलदार की रिपोर्ट के विपरीत होना साबित है।

**(8)** अपीलाधीन आदेश एकतरफा तौर पर चिपते काश्तकारों को सुनवाई का अवसर दिये बिना, रेस्पोडेन्ट संख्या 1 को आवंटन किया गया है, जो राजस्थान उपनिवेशन (इगानप क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन एवं विक्रय) नियम 1975 के नियम 14 (1) के विपरीत होने से काबिल खारिज है।

7. अतः उक्त विवेचना के आधार पर अपीलांट् की अपील आशिंक स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 22–11–2010 सहायक आयुक्त उपनिवेशन, कोलायत निरस्त किया जाकर प्रकरण इस निर्देश के साथ अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, कोलायत को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वादगत् भूमि के आवंटन से पूर्व अपीलांट व अन्य चिपते काश्तकारों को सुनवाई व सबूत का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें।

8. निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 10.09.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ0राकेश कुमार शर्मा)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बीकानेर